कार्यालय वनमंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक / मा.चि. / न.क्र.1–5 / 1448 खैरागढ़, दिनांक 24 / 05 / 2021

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
द.पू.म. रेलवे गौरी नगर रेलवे क्रासिंग
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion Land for To construct 3rd Railway line from Paniajob to Bortalao approxiate 8 km, it covers Rajnandgaon district to be used for freight and passenger services. Proposed alignment of 3rd line is a detour alignment, area – 20.954 ha. – regarding.** (पंजीयन क्रमांक– **FP/CG/RAIL/48681/2020)**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 596 दिनांक 05.05.2021

–000–

अवगत हो कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाईन नागपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति के तारतम्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र दिनांक 06.03.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में आपके द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसे संदर्भित पत्र द्वारा अंतिम चरण की स्वीकृति जारी करने के लिये उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। अंतिम चरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

विदित हो कि प्रकरण में प्रभावित हुई वन / राजस्व वनभूमि 20.954 हे. के विरूद्ध दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के अधिन संरक्षित वनकक्ष क्रमांक पी–465 की दोगुने बिगड़े वनभूमि 41.908 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति अधिरोपित शर्त कंडिका (iii) एवं (iv) के पालन हेतु लेख किया गया था कि कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि ई–पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से जमा करे। इस बाबत् इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में आपके द्वारा निर्धारित राशि कैम्पा खाते में जमा कराई गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 1048 दिनांक 19.05.2021 द्वारा वर्ष 2021–22 के लिये क्षतिपूर्ति रोपण के दर का पुनरीक्षण किया गया है। इसलियें अंतर की राशि आपसे ली जाना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है :–

जमा की जाने वाली राशि का मद का नाम	प्रस्तावित भूमि (हे. में)	कैम्पा खाता में पूर्व में जमा कराई गई राशि	वर्तमान दर (प्रति हे.)	वर्तमान दर के अनुसार राशि	अंतर की राशि
क्षतिपूर्ति वनीकरण	41.908	30436523 / –	798897 / –	33480175 / –	3043652 / –

अतः उपरोक्तानुसार दर्शित अंतर की राशि ई–चालान के माध्यम से एडॉहक कैम्पा के खाते में जमा करते हुए मूल चालान की प्रति इस कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें।

संलग्न :– छायाप्रति।

वनमंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/115–25/1049 रायपुर, दिनांक 19/05/2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
   छत्तीसगढ़

विषयः – क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दरों का वर्ष 2021–22 में पुनरीक्षण।

संदर्भः 1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/1626/2002 दिनांक 19.03.2002

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ कैम्पा/एल.एम–25/ 996 दिनांक 26.05.2020

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गत वर्ष की असिंचित दर रू. 2,06,591/– एवं सिंचित रू. 7,26,270/– में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए असिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 2,49,975/– प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 7,98,897/– प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की जाती है।

1. तदानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 7,98,897/– प्रति हेक्टेयर की दर से प्रस्ताव तैयार करना एवं राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियों एवं आस्था मूलक कार्यो का प्रावधान परियोजना में किया जावे।

2. असिंचित दर केवल उन्ही पुराने प्रकरणों हेतु है जिनमें पूर्व में प्रस्ताव असिंचित दर से तैयार हुए है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर भारत सरकार को जा चुके है।

शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू– प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/ 115–25/1049 रायपुर, दिनांक 19/05/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
– मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), छत्तीसगढ़, रायपुर।
– समस्त शाखा प्रभारी, भू–प्रबंध प्रभाग को पालनार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू– प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर